प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.03.24

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मुरादनगर पर पंजीकृत अभियोग में 05 वर्षो से फरार एवं 20,000/- रूपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-21/03/2024 को थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के वर्ष 2019 के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्त राहुल मिश्रा को गंगनहर पटरी थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की। अभियुक्त राहुल मिश्रा पिछले 05 वर्षो से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन द्वारा दिनांक-16/02/2024 को रू0 20,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह बी.ए. पास है मूल रूप से लार, जनपद-देवरिया का रहने वाला है तथा कैलाश हॉस्पिटल सैक्टर 71 नोएडा मे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है उसनें नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगो से धोखा-धडी करके रूपये ले लिये थे जब उन लोगो ने दबाव डाला तो राहुल ने वादी मुकदमा आदित्य पाण्डेय से भी धोखा-धडी से रू0 12,50,000/- ले लिए और बताया कि बाद मे लौटा दूँगा परन्तु बार-बार रूपये वापस माँगने पर राहुल मिश्रा द्वारा वादी आदित्य पाण्डेय को धमकी देकर बलैकमेल करने लगा और अपना मकान भी बदल दिया और फरार हो गया था अभियुक्त शातिर किस्म का व्यक्ति है जो लोगो से धोखा-धडी करके रूपये ऐंठता है और वर्ष 2019 से फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- राहुल मिश्रा पुत्र हरिशंकर निवासी ग्राम अमोना थाना लार जनपद देवरिया हाल पता किराये का मकान श्याम डेरी के पास मुर्गा मण्डी थाना सैक्टर 58 नोएडा उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1. गाजियाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी/लूट करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/ लूट के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 16 मोबाइल बरामद।

दिनांक 21.03.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी शकील निवासी गांव रायपुर थाना सैफनी नें तहरीर दी कि वादी ट्रक ड्राइवर है। वादी ने अपना ट्रक तथा दूसरा साथी ड्राइवर साहिब खान अपना ट्रक (कैन्टर) लगाकर शनि मंदिर वाली गली में सो रहे थे। तब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दोनो ट्रक ड्राइवर के 02 मोबाइल फोन चोरी कर लिये गये है। तत्काल साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट , चेकिग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 22.03.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. इरशाद पुत्र आस मोहम्म्द उर्फ आशू नि0 105 जयपाल चौक शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, 2. इमरान पुत्र साबू उर्फ बाबू नि0 ग्राम सतीपुरा पिलखुआ जनपद हापुड उम्र करीब 35 वर्ष को सीमा बोर्डर चौकी क्षेत्र सीमा साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी / लूट के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 16 मोबाइल फोन बरामद हुये है। अभियक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ विवरण</u>

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम कच्चे लालच में आकर रोड पर जो वाहन खडे रहते है जैसे बस, ट्रक आदि उनसे मोबाइल फोन चोरी कर लेते है व व्यक्तियों से मोबाइल फोन स्नैच भी कर लेते है। और इन्हे सस्ते दामों में चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देते है। हमसे जो मोबाइल फोन बरामद हुये ये हमने भिन्न भिन्न जगहों से चोरी व स्नैच किये है। इनमें से 02 मोबाइल फोन हमने दिनाक 19.03.2024 को शनि मन्दिर के पास सीमा बोर्डर पर एक ट्रक से चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.इरशाद पुत्र आस मोहम्म्द उर्फ आशू नि0 105 जयपाल चौक शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

2.इमरान पुत्र साबू उर्फ बाबू नि0 ग्राम सतीपुरा पिलखुआ जनपद हापुड उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी विवरण

- लूट / चोरी के भिन्न- भिन्न कम्पनी के 16 मोबाइल बरामद।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- अभियुक्त इमरान के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली में लूट / चोरी के 08 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त इरशाद पर थाना साहिबाबाद पर लूट / चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, कारतूस व 01 चाकू बरामद।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21/22.03.2024 को चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. नूर आलम पुत्र सलीम निवासी खढाना मौहल्ला गांव भोजपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष 2. कामिल पुत्र रियाजुद्दीन निवासी खढाना वाला मौहल्ला ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को विजयनगर बम्बा रोड गोविन्दपुरी मोदीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध मे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार/अभियुक्त –

1- नूर आलम पुत्र सलीम निवासी खढाना मौहल्ला ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष
2- कामिल पुत्र रियाजुद्दीन निवासी खढाना मौहल्ला ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जनपद गाजिया बाद उम्र 35

बरामदगी का विवरण –

01 तमंचा मय 01 कारतूस (अभियुक्त नूर आलम से बरामद)
01 चाकू नाजायज (अभियुक्त कामिल से बरामद)
01 कार सैन्ट्रो (सीज अन्तर्गत धारा 207 एम वी एक्ट)

पंजीकृत अभियोग –

01 अभियोग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुकान का ताला तोडकर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 स्कैनर कैनन कम्पनी , 01 यूपीएस इन्टैक्स कम्पनी , 01 डैस्कटॉप डैल कम्पनी व 01 क्षतिग्रस्त डीवीआर बरामद ।

दिनांक 06.03. 2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री चन्द्रसैन गुप्ता निवासी 205 त्रिशूल टावर डी-41 कौशाम्बी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में दुकान का ताला तोड़कर से 01 स्कैनर कैनन कम्पनी , 01 यूपीएस इन्टैक्स कम्पनी , 01 डैस्कटॉप डैल कम्पनी व 01 डीवीआर हिकविजन कम्पनी का चोरी कर लिया गया है । तत्काल कौशांबी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुल , सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 21.03.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त 1. नटवर पुत्र शाबिर निवासी झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव काकन थाना जाकी हाट जनपद अररिया बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को सार्वजनिक शौचालय कौशाम्बी के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 01 स्कैनर कैनन कम्पनी , 01 यूपीएस इन्टैक्स कम्पनी , 01 डैस्कटॉप डैल कम्पनी व 01 क्षतिग्रस्त डीवीआर हिकविजन कम्पनी का बरामद हुआ है । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

नटवर पुत्र शाबिर निवासी झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव काकन थाना जाकी हाट जनपद अररिया बिहार उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

- एक स्कैनर कैनन कम्पनी
- एक यूपीएस ईन्टैक्स कम्पनी
- एक डैस्कटाप डैल कम्पनी
- एक क्षतिग्रस्त डीवीआर हिकविजन कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम